न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

राजस्व अपील संख्या २१९/2026 **अनवान** अर्जुनराम व अन्य बनाम राज0 सरकार जरिये तहसीलदार सिणधरी (बालोतरा)

दिनांक 9 **.04.2026**

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी सिणधरी (बालोतरा) द्वारा अंतर्गत धारा 131, 132 के तहत मुकदमा संख्या 216/2025 बअनवान राज0 सरकार जरिये तहसीलदार सिणधरी बनाम अर्जुनराम व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.09.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसके साथ स्थगन प्रार्थना पत्र मय श0प0 भी प्रस्तुत किया गया। अपील के साथ मियाद अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय श0प0 न्यायहित में स्वीकार कर प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

वकील अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। बहस सुनी गई। वकील अपीलांट का मुख्यतः यह कथन यह है कि अपीलाधीन आदेश द्वारा तहसील एवं ग्राम सिणधरी के खसरा नम्बर 479/129, 131, 448/84, 469/80, 453/281 व 455 की कुल रकबा भूमि में से उल्लेखित हैक्टर भूमि को गै0मु0 रास्ता घोषित किया गया है। जिसमें अपीलांट के सह–खातेदारी ख0नं0 479/129 की रकबा भूमि में से 0.0600 है0 एवं ख0नं0 131 की रकबा भूमि में से 0.3200 है0 भूमि में से नया रास्ता काटा गया है। मौके पर कोई रास्ता चालू नही है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर नही दिया गया और न ही सहमति ली गई। रास्ते का प्रार्थना पत्र तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज कर उसी दिन अपीलांट की भूमि 129 व 131 के बीच में से रास्ते का आदेश पारित कर दिया गया। उक्त आदेश की पालना में रास्ते का नया नम्बर कायम कर दिया गया है। रास्ते का प्रार्थना पत्र मनमर्जी से प्रस्तुत किया गया व इसके आधार पर आदेश पारित कर दिया गया। ख0नं0 131 की भूमि के संदर्भ में पहले से ही विभाजन का वाद विचाराधीन है, इसलिए रास्ते का कोई औचित्य नही है, अपितु इससे वाद बाहुल्यता एवं पेचिदगियां बढेगी। ख0नं0 131 के कुछ खातेदारान की ढाणियां तक पहुंचने की लिए पहले से ही नजदीकी रास्ता उपलब्ध है। इस कारण अपीलांट के ख0नं0 479/129 में से रास्ता देना न्यायोचित नही है। इसके अलावा अपीलाधीन आदेश द्वारा ख0नं0 129 में से 6 मीटर चौडा, ख0नं0 131 में से 5 मीटर चौडा व इससे आगे 3 मीटर चौडा रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है, जिसकी मंशा स्पष्ट नही है। प्रकरण में धारा 131, 136 के प्रावधान लागू नही होते है, क्योकि किसी भी खातेदार की भूमि में से जबरन

रास्ता स्थापित नही किया जा सकता है। अतः अपील स्वीकार कर, अपीलांट के ख0नं0 479/129 व ख0नं0 131 की भूमि में से रास्ते का आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह कथन किया कि उक्त आदेश राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राज0 जयपुर के परिपत्र दिनांक 10.8.16, 30.9.21 एवं जिला कलेक्टर बाडमेर के पत्रांक 7205–40 दिनांक 10.10.16 के क्रम में तहसीलदार सिणधरी के आवेदन पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्तयोदय सम्बल पखवाडा में पारित किया गया है, जो विधिसम्मत होने से यथावत रखा जावे, तथापि प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड पर का अवलोकन व मनन किया। प्रकट तथ्यों के आधार पर प्रथमतः अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर नही दिया गया और न ही उनकी सहमती ली गई। द्वितीय अपीलांट का कथन है कि ख0नं0 131 के बीच में से रास्ता काटा गया है, जबकि उक्त खसरे के विभाजन का वाद विचाराधीन है व उक्त खसरे में स्थित कुछ खातेदारान की ढाणियों तक पहुंच हेतु पहले से ही मार्ग उपलब्ध है। उक्त स्थिति में अपीलाधीन आदेश न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, उपखण्ड अधिकारी सिणधरी (बालोतरा) द्वारा मुकदमा संख्या 216/2025 बअनवान राज0 सरकार जरिये तहसीलदार सिणधरी बनाम अर्जुनाराम व अन्य में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.09.2025 को अपीलांट के ख0नं0 479/129 व 131 में से रास्ते के रूप में प्रस्तावित/दर्ज रकबा भूमि तक निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांट एवं संबंधित खातेदारों को नोटिस जारी कर उनकी उपस्थिति में मौका निरीक्षण एवं मौका फर्द तैयार करवाकर, यदि मौके पर रास्ता चालू है तो उसे बंद किये बिना, उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटाया जावें। निर्णय आज दिनांक 9-4-26. को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर